

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010—वैशाख 24, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 14 मई 2010

क्र. एफ-ए 3-11-2010-1-पांच (59).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 7-क में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(4) यदि डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी के आंकड़े भेजे गए हैं, तो प्ररूप पांच-ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत किया जाएगा.”

(2) नियम 8 में,—

(क) उपनियम (1-क) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द और अंक “प्रति 100 प्ररूपों की पुस्तक चालीस रुपये या प्रति पच्चीस प्ररूपों की पुस्तक बारह रुपये या प्रति प्ररूप अड़तालीस पैसे” के स्थान पर, शब्द “प्रति प्ररूप एक रुपया” स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (च) के परन्तुक में शब्द “प्रति प्ररूप अड़तालीस पैसे” के स्थान पर, शब्द “ प्रति प्ररूप एक रुपया” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपनियम (1-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(1-ख) (क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग द्वारा प्ररूप-ग या प्ररूप-च में एक घोषणा पत्र अभिप्राप्त करने के लिए, प्ररूप चार-क में उन संव्यवहारों के विवरण के साथ, जिनके लिए घोषणा पत्र अपेक्षित है, डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/](http://www.mptax.net/) [www.mptax.gov.in](http://www.mptax.gov.in)) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इलेक्ट्रानिक रीति में एकय आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(ख) इलेक्ट्रानिक रूप में आवेदन करने वाले व्यापारी, प्रति प्ररूप पांच रुपये फीस का भुगतान करेंगे.

(ग) घोषणा प्ररूपों का वितरण स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा किया जाएगा.

(घ) उपनियम (1-क) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपनियम के अधीन जारी घोषणाओं को लागू होंगे.

(1-ग) (क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि प्ररूप-ग या प्ररूप-च में सम्यकरूप से भरी हुई, घोषणाएं उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के वर्ग द्वारा विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/](http://www.mptax.net/) [www.mptax.gov.in](http://www.mptax.gov.in)) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में जारी की जाएगी.

(ख) नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित क्रमशः प्ररूप-ग तथा प्ररूप-च में इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणाओं को लागू होंगे.

(1-घ) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों के संबंध में जो कि आयुक्त द्वारा विनिश्चित किये जाएं, घोषणा प्ररूप केवल उन संव्यवहारों, के संबंध में ही जिनके बीजक प्राप्त हो चुके हैं, जारी किये जाएंगे तथा घोषणा प्ररूप जारी करने वाला अधिकारी, घोषणा प्ररूप जारी करने के पूर्व, व्यापारी से संव्यवहार से संबंधित कालावधि के ब्यौरे, विक्रेता व्यापारी का नाम एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन), बिजकों की कुल संख्या जिनके संबंध में प्ररूप जारी किया जाना है, ऐसे बीजकों का व्यपदिष्ट मूल्य और ऐसी अन्य जानकारी, जैसी कि समय-समय पर आयुक्त द्वारा अपेक्षित की जाए, अभिप्राप्त करेगा तथा प्ररूप में आवश्यक ब्यौरा भरेगा.”

(3) नियम 8-च में, शब्द कोष्टक और अंक “उपनियम (2)(3),(4),(5)” के स्थान पर, शब्द, कोष्टक, अक्षर और अंक “उपनियम (1-ख), (1-ग), (1-घ), (2)(2)(3), (4) तथा (5)” स्थापित किए जाएं;

(4) नियम 10-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“10-ग. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूरी के लिए आवेदन का इलेक्ट्रानिक रीति में प्रस्तुत किया जाना.

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए कोई आवेदन, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हार्ड कॉपी के साथ या उसके बिना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.net/](http://www.mptax.net/) [www.mptax.gov.in](http://www.mptax.gov.in)) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्ररूप-क में इलेक्ट्रानिक रीति में प्रस्तुत किया जाएगा. केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे आवेदन को लागू होंगे.

(5) प्ररूप पांच के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किये जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप—पांच  
[नियम 7-क देखिए]

**किसी व्यापारी द्वारा देय विक्रय कर की विवरणी**

( मूल/पुनरीक्षित )

वित्त वर्ष . . . . . का वर्ष/त्रैमास/मास

विवरणी की कालावधि	तारीख	मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष
----------------------	-------	-----	------	----	-------	-----	------

व्यापारी का नाम

व्यापारी का पता

टिन

**भाग—क**

1. कालावधि के दौरान सकल टर्नओवर.
2. राज्य के भीतर माल का विक्रय.
3. राज्य के बाहर माल का विक्रय/कन्साईनमेन्ट/ब्रान्च ट्रांसफर.
4. भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय.
5. 2 से 4 तक का योग.
6. अंतर्राज्यीय विक्रय का आवर्त (1-5)

**भाग—ख**

1. 6 माह के भीतर विक्रय वापसी.
2. माल भाड़ा, परिदान या अधिष्ठान का खर्च, जबकि ऐसा खर्च पृथक् से प्रभारित हो.
3. व्यापार में प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार नगद छूट (कैश डिस्काउण्ट).
4. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (जो इसमें इसके पश्चात् वेट अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन पूर्णतः छूट प्राप्त या करमुक्त माल का विक्रय.
5. धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन माल का करयोग्य न होने वाले माल का पश्चात्पूर्ती विक्रय.
6. वेट अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (म) के अधीन यथापरिभाषित कर चुकाए माल का प्ररूप-ग समर्थित माल का विक्रय.
7. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थित इकाईयों को प्ररूप-झ समर्थित माल का विक्रय.
8. धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन पूर्णतः छूट प्राप्त माल का विक्रय.
9. अन्य कोई कटौती (कृपया विनिर्दिष्ट करें).
10. 1 से 9 तक का योग.

**भाग—ग**

1. करयोग्य टर्न ओवर (भाग-क का 5-भाग-ख का 10)
2. करयोग्य टर्न ओवर का वर्गीकरण एवं देय कर- कर योग्य कर की दर कर  
टर्न  
ओवर

- (एक) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.
- (दो) प्ररूप-ग समर्थित—
- (क) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 2 से 4 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.
- (ख) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन अंशतः छूट प्राप्त माल का विक्रय.

(तीन) प्ररूप-ग के बिना—

- (क) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.
- (ख) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.
- (ग) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 4 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.

(चार) प्ररूप-च/प्ररूप-ज/प्ररूप-झ के बिना—

- (क) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.
- (ख) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.
- (ग) वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग 4 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.

2 का योग

**भाग—घ देय कर**

1. कुल देय कर (भाग-ग).
2. विलंबित भुगतान हेतु ब्याज (यदि कोई हो).
3. कुल देय रकम (1+2).
4. समायोजन के लिए वेट अधिनियम की धारा 14 के अधीन आगत कर रिबेट.
5. चालान से जमा रकम.
6. वापसी समायोजन आदेश (यदि कोई हो).
7. कुल जमा (4+5+6).
8. शेष देय रकम (यदि कोई हो) (3-7)
9. अधिक जमा (यदि कोई हो) (7-3)

**भुगतान के ब्यौरा :—**

बैंक का नाम	शाखा	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	कालावधि	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

योग

**वापसी समायोजन आदेश (स्वयं का)**

वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	वापसी समायोजन आदेश दिनांक	राशि	चालान क्रमांक एवं दिनांक (यदि कोई हो)
-------------------------------	------------------------------	------	--

**वापसी समायोजन आदेश (अन्य व्यापारी से प्राप्त)**

व्यापारी का नाम	टिन	वापसी समायोजन आदेश क्रमांक	वापसी समायोजन आदेश दिनांक	रकम
-----------------	-----	-------------------------------	------------------------------	-----

**घोषणा**

मैं, ..... (नाम) उक्त व्यावसायिक फर्म के ..... की हैसियत से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर इस विवरणी में दी गई जानकारीयां तथा विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है.:-

स्थान .....  
दिनांक .....

व्यापारी के हस्ताक्षर

**नोट :** विवरणी मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में विहित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी.

**केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु**

वित्त वर्ष ..... के मास/तिमाही/वर्ष ..... की विवरणी प्रस्तुत दिनांक / /

विलम्ब (यदि कोई हो) (दिनों में) .....

प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(कर्मचारी-आईडी)

विवरणी दिनांक ..... को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में  
प्रविष्टि की गई

डाटा एन्ट्री कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(कर्मचारी-आईडी) .....

**अभिस्वीकृति**

विवरणी प्राप्ति क्रमांक .....  
वित्त वर्ष  
की ..... तिमाही/  
माह/वर्ष .....

तारीख .....

टिन 2 3

व्यापारी का नाम तथा पता  
(सील लगाएं)  
वृत्त कार्यालय

प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(कर्मचारी-आईडी) .....

(6) प्ररूप पांच-क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“प्ररूप—पांच—ख  
(नियम 7-क(4) देखिए)

विवरणी सत्यापन प्ररूप

वित्तीय वर्ष ..... का .....	वार्षिक/ तिमाही/ मासिक/	दिन 2 3	(मूल/पुनरीक्षित)		
विवरणी की कालावधि व्यापारी का नाम तथा पता	तारीख मास	वर्ष	से तारीख	मास	वर्ष
(सील लगाए) ई—प्रस्तुतीकरण अभिस्वीकृति का क्रमांक	तारीख	मास	वर्ष		

1. अंतर्राज्यीय विक्रय का सकल टर्न ओवर.
2. कटौतियां.
3. करयोग्य टर्न ओवर (1—2)
4. देय कर.
5. विलंबित भुगतान पर ब्याज (यदि कोई हो).
6. कुल देय रकम (4+5).
7. समायोजन के लिए वेट अधिनियम की धारा 14 के अधीन आगत कर रिबेट.
8. चालान से जमा की गई रकम
9. वापसी समायोजन आदेश (यदि कोई हो).
10. कुल जमा (7+8+9)
11. शेष देय रकम (यदि कोई हो) (6—10).
12. अधिक जमा (यदि कोई हो) (10—6).

### घोषणा

मैं ..... (नाम) उपरोक्त व्यवसाय फर्म ..... का ..... होते हुए एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि विवरणी, जो उपरोक्त अभिस्वीकृति क्रमांक अनुसार मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई है, में दी गई जानकारी एवं विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है.

स्थान .....  
तारीख .....

व्यापारी के हस्ताक्षर

नोट : यह प्ररूप मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में यथाविहित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

वित्त वर्ष ..... की ..... मास/

तिमाही/वर्ष के लिये विवरणी

सत्यापन प्ररूप

तारीख ..... को प्रस्तुत

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(कर्मचारी का आई.डी. ....)

एप्लीकेशन साफ्टवेअर में प्रविष्टि

की तारीख .....

डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(कर्मचारी का आई.डी. ....)

अभिस्वीकृति

विवरणी सत्यापन प्ररूप पावती क्रमांक ..... तारीख .....

वित्त वर्ष ..... मासिक/

टिन

2

3

..... की

तिमाही/

वार्षिक

व्यापारी का नाम तथा पता

(सील लगाएं)

वृत्त कार्यालय

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर  
(कर्मचारी का आई.डी. ....)"

(7) प्ररूप छः में, कालम (3) में आए शब्द "घ" का लोप किया जाए

(8) प्ररूप बारह के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात:—

“ प्ररूप—बारह

(देखिये नियम 10-क)

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन  
कर- निर्धारण और/या शास्ति का आदेश

प्रकरण क्रमांक

कर-निर्धारण की कालावधि

व्यापारी का नाम और पता

टिन

2

3

कर-निर्धारण अधिकारी का नाम और

पदनाम

कार्यालय

आदेश दिनांक

उपधारा सहित धारा जिसके अधीन कर

निर्धारण किया गया है, और/या शास्ति

अधिरोपित की गई है.

विवरण	विवरण के अनुसार	संगणना के अनुसार	निर्धारित किए अनुसार
1. सकल टर्न ओवर			
2. कटौतियां—			
(एक)	राज्य के भीतर माल का विक्रय.		
(दो)	राज्य के बाहर माल का विक्रय/कन्साईनमेन्ट/ब्रान्च ट्रान्सफर.		
(तीन)	भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय.		

## 2 का योग

3. अन्तर्राज्यीय विक्रय का टर्न ओवर (1-2)
4. कटौतियां—
  - (एक) 6 माह के भीतर विक्रय वापसी.
  - (दो) माल भाड़ा, परिदान या अधिष्ठापन के खर्च, जबकि ऐसा खर्च पृथक् से प्रभारित हो.
  - (तीन) व्यापार में प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार नगद छूट (कैश डिस्काउण्ट).
  - (चार) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (जो इसमें इसके पश्चात् "वेट अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन पूर्णतः छूट प्राप्त या करमुक्त माल का विक्रय.
  - (पांच) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन करयोग्य न होने वाले माल का पश्चात्पूर्ती विक्रय.
  - (छः) प्ररूप-ग समर्थित माल का विक्रय जो वेट अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (म) के अधीन यथापरिभाषित कर चुकाए गए माल की प्रकृति का हो.
  - (सात) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थित इकाइयों को प्ररूप-झ समर्थित माल का विक्रय.
  - (आठ) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन पूर्णतः छूट प्राप्त माल का विक्रय.
  - (नौ) अन्य कोई कटौती (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

## 4 का योग

5. कर योग्य टर्न ओवर (3-4)



- | 6. कर योग्य टर्न ओवर का वर्गीकरण एवं देय कर—                              | कर योग्य<br>टर्न ओवर | कर की दर | कर |
|---|----------------------|----------|----|
| (एक) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय      |                      |          |    |
| (दो) प्ररूप-ग समर्थित—  |                      |          |    |
| (क) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 2 से 4 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय. |                      |          |    |
| (ख) धारा 8 की उपधारा 5 के अन्तर्गत अंशतः छूट प्राप्त माल का विक्रय.       |                      |          |    |
| (तीन) प्ररूप-ग के बिना—   |                      |          |    |
| (क) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.      |                      |          |    |
| (ख) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.      |                      |          |    |
| (ग) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 4 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.      |                      |          |    |
| (चार) प्ररूप-च/प्ररूप-ज/प्ररूप-झ के बिना—                                 |                      |          |    |
| (क) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.      |                      |          |    |
| (ख) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.      |                      |          |    |
| (ग) वेट अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 4 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय.      |                      |          |    |

#### 6 का योग

7. अधिरोपित किया गया ब्याज/शास्ति
- (एक) धारा . . . . . के अधीन.
- (दो) धारा . . . . . के अधीन.
- (तीन) धारा . . . . . के अधीन.
- (चार) धारा . . . . . के अधीन.
- (पांच) नियम . . . . . के अधीन.

#### 7 का योग

8. देय राशि (6+7)
9. कटौतियां—
- (एक) वेट अधिनियम की धारा 14 के अधीन आगत कर रिबेट (यदि कोई हो).
- (दो) वापसी समायोजन आदेश (यदि कोई हो).
- (तीन) भुगतान की गई राशि.

#### 9 का योग

10. शेष देय/वापसी योग्य रकम  
भुगतान का विवरण:

चालान क्रमांक	चालान दिनांक	रकम
		योग . . .

कर निर्धारण और/ या शास्ति का आदेश संलग्न है.

सील

दिनांक . . . . .

हस्ताक्षर  
पदनाम."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2010

क्र. एफ. ए-3-11-2010-1-पांच-(59).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-11-2010-1-पांच-(59), भोपाल, दिनांक 14 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th May 2010

No. F. A-3-11-2010-1-V-(59).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely :—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) In rule 7-A, after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4) If the data in the return is transmitted electronically without digital signature, the verification of the return in Form V-B shall be submitted.”.

- (2) In rule 8,—

- (a) in sub-rule (1-A),—

- (i) in clause (a), for the words and figures “rupees forty per book of 100 forms or rupees twelve per book of 25 forms of forty eight paise per forms”, the words “rupee one per form” shall be substituted;

- (ii) in proviso to clause (f), for the words “forty eight paise per form”, the words “rupee one per form” shall be substituted;

(b) for sub-rule (1-B), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(1-B) (a) The State Government may, by notification, provide that the registered dealer or a class of registered dealers specified in the said notification, shall submit electronically an application in Form IV-A, along with the details of transactions for which declarations are required, with or without digital signature, as may be specified, for obtaining declarations in Form C or Form F, through the Official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal, with or without digital signature as specified in the said notification.

(b) The dealers making application electronically, shall make a payment of fee of rupees five per form.

(c) The delivery of declaration forms shall be made by speed post or by courier.

(d) The provisions of sub-rule (1-A) shall *mutatis mutandis* apply to declarations issued under this sub-rule.

(1-C) (a) The State Government may, by notification, provide that declarations in Form C or Form F duly filled, shall be issued to a registered dealer or a class of registered dealers specified in the said notification, electronically through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

(b) The respective provisions of the rules shall *mutatis mutandis* apply to a declaration in Form C and F issued electronically.

(1-D) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-rule (1), in respect of goods as may be decided by the Commissioner, the declaration forms shall be issued only in respect of transactions for which an invoice has been received and the officer issuing the declaration forms, shall, before issuing the declaration forms, obtain from the dealer the details regarding the period to which the transaction relates, name and registration certificate number (TIN) of the selling dealer, the total number of invoices in respect of which the form is to be issued, the value represented by such invoices and such other information as may be required by the Commissioner from time to time and shall fill in the necessary details in the form.”;

(3) In rule 8-F, for the word, brackets and figures “sub-rules (2), (3), (4), (5)”, the words, brackets, letters and figures “sub-rules (1-B), (1-C), (1-D), (2), (3), (4) and (5)” shall be substituted;

(4) After rule 10-B, the following rule shall be inserted, namely:—

**“10-C. Electronic filing of application for grant of registration certificate.**

The State Government may, by notification, provide that an application for grant of registration certificate under Section 7 shall be furnished by a dealer or a class of dealers specified in the said notification, with or without a hard copy as specified in the notification, electronically in Form A, with or without digital signature as specified in the said notification, as may be specified, through the official web portal of the department ([www.mptax.net/www.mptax.gov.in](http://www.mptax.net/www.mptax.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal. The provisions of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 shall *mutatis mutandis* apply to such application.”.

(5) For Form V, the following Form shall be substituted, namely:—

“FORM V  
(See rule 7-A)

**RETURN OF CENTRAL SALES-TAX PAYABLE BY A DEALER**

(Original/Revised)

Year/Quarter/month Return For the period	of F.Y. DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY
---	---------------	----	------	----	----	----	------

Name of the dealer

Address of the dealer

TIN

**PART-A**

1. Gross turnover during the period
2. Sales of goods inside the State
3. Sales of goods outside the State/Consignment/Branch Transfer
4. Sales of goods in the course of export out of territory of India
5. Total of 2 to 4
6. Turnover of inter-State sales (1-5)

**PART-B**

1. Sales return within 6 months.
2. Cost of freight, delivery or installation, when such cost is charged separately.
3. Cash discount according to the practice normally prevailing in the trade.
4. Sales of goods wholly exempted or tax free under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (hereinafter referred to as the “Vat Act”).
5. Subsequent sales of goods not taxable under sub-section (2) of Section 6.
6. Sales of goods which are in the nature of tax paid goods as defined under clause (y) of Section 2 of the Vat Act, against Form C.
7. Sales of goods to units situated in Special Economic Zone against Form I.
8. Sales of goods wholly exempted under sub-section (5) of Section 8.
9. Any other deduction (please specify).
10. Total of 1 to 9.

**PART-C**

1. Taxable turnover (5 of part-A-10 of part-B)

2. Classification of taxable turnover and tax payable	Taxable turnover	Rate of tax	Tax
(i) sales of goods specified in part 1 of Schedule-II of the Vat Act.			
(ii) against Form-C—			
(a) Sales of goods specified in part 2 to 4 of Schedule-II of the Vat Act.			
(b) sales of goods partly exempted under sub-section (5) of Section 8.			
(iii) without Form-C—			
(a) sales of goods specified in part 2 of Schedule-II of the Vat Act.			
(b) sales of goods specified in part 3 of Schedule-II of the Vat Act.			
(c) sales of goods specified in part 4 of Schedule-II of the Vat Act.			
(iv) without Form-F/ Form H/ Form I—			
(a) sales of goods specified in part 2 of Schedule-II of the Vat Act.			
(b) sales of goods specified in part 3 of Schedule-II of the Vat Act.			
(c) sales of goods specified in part 4 of Schedule-II of the Vat Act.			

**Total of 2**

**PART-4 Tax payable—**

1. Total Tax payable (part-C).
2. Interest for late payment (if any).
3. Total amount payable (1+2).
4. Input Tax Rebate under Section 14 of the Vat Act for adjustment.
5. Amount deposited by challans.
6. Refund Adjustment Order (if any).
7. Total credit (4+5+6).
8. Balance amount payable (in any) (3-7).
9. Excess credit (if any) (7-3).

**Payment Detail :—**

Name of Bank	Branch	Challan No.	Challan Date	Period	Amount
					Total . . .

## Refund Adjustment order (self)

Refund Adjustment Order No.	Refund Adjustment Order Date	Amount	Challan No. & date (if any)
-----------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------

## Refund Adjustment Order (received from other dealer)

Name of dealer	TIN	Refund Adjustment Order No.	Refund Adjustment Order Date	Amount
----------------	-----	-----------------------------	------------------------------	--------

## DECLARATION

I ..... (Name) being ..... of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given above in this return are true and correct to the best of my knowledge and belief;

Place .....

Date : .....

Signature of the dealer

**Note.**—The return shall be signed by a person prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

## For Office Use only

Return for the month/quarter/year of F. Y.  
Submitted on / /  
Delay (if any) (in days)

Signature of Receiving Official  
(Employee ID .....

Return entered into application software on :

Signature of Data Entry Official  
(Employee ID .....

## ACKNOWLEDGEMENT

Return Receipt Number : .....

Date: / /

Quarter/ month/year of F.Y. TIN 2 3

Name of the Dealer and address  
(Affix Seal)  
Circle Office

Signature of Receiving Official  
(Employee ID: .....)"

(6) After Form V-A, the following Form Shall be inserted, namely :—

“Form-V-B  
[See rule 7-A(4)]  
Return Verification Form

(Original/Revised)

Year/Quarter/month of F.Y. TIN 2 3

Return For the period DD MM YYYY To DD MM YYYY

Name and address  
of the Dealer  
(Affix Seal)

E-filing  
Acknowledgement  
Number

Date DD MM YYYY

1. Gross Turnover of inter-State sales.
2. Deductions.
3. Taxable Turnover (1-2).
4. Tax payable.
5. Interest for late payment (if any).
6. Total amount payable (4+5).
7. Input Tax Rebate under section 14 of the  
Vat Act for adjustment.
8. Amount deposited by challans.
9. Refund Adjustment Order (if any).
10. Total credit (7+8+9).
11. Balance amount payable (if any) (6-10).
12. Excess credit (if any) (10-6).

#### DECLARATION

I ..... (Name) being .....  
of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given in the return which has  
been transmitted electronically by me *vide* acknowledgement number mentioned above are true and correct to the  
best of my knowledge and belief.

Place .....  
Date : .....

Signature of the dealer

**Note.**—This Form shall be signed by any such person as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of M. P. Vat  
Rules, 2006.

#### For Office Use only

Return verification Form for the quarter/month  
of F. Y.  
submitted on : / /

Signature of Receiving  
Official  
(Employee ID .....

Entered into application  
Software on : / /

Signature of Data Entry  
Official  
(Employee ID .....

#### ACKNOWLEDGEMENT

Return Verification Form Receipt Number : .....

Date: / /

Quarter/  
month/year of F.Y. TIN 2 3

Name of the Dealer and address  
(Affix Seal)  
Circle Office

Signature of Receiving Official"  
(Employee ID: .....)"

- (7) In Form VI, the letter "D" occurring in column (3) shall be omitted;  
 (8) For Form XII, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM-XII  
 (See Rule 10-A)

**Order of Assessment and/or penalty under  
 the Central Sales Tax Act, 1956**

Case Number

Period of assessment

Name and Address of Dealer

TIN

2      3

Name of Assessing officer and designation

Office

Date of Order

Section with sub-section under  
 which assessment made and/or  
 penalty imposed

Description	As returned	As computed	As determined
1. Gross Turnover (GTO)			
2. Deduct.—			
(i) Sales of goods inside the State.			
(ii) Sales of goods outside the State/ Consignment/Branch transfer.			
(iii) Sales of goods in the course of export out of territory of India.			
<b>Total of 2</b>			
3. Turnover of inter-State sales (1-2)			
4. Deduct—			
(i) Sales return within 6 months.			
(ii) Cost of freight, delivery or installation, when such cost is charged separately.			
(iii) Cash discount according to the practice normally prevailing in the trade.			
(iv) Sales of goods wholly exempted or tax free under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (hereinafter referred to as the "Vat Act").			
(v) Subsequent sales of goods not taxable under sub-section (2) of section 6.			
(vi) Sales of goods which are in the nature to tax paid goods as defined under clause (y) of Section 2 of the Vat Act, against Form C.			
(vii) Sales of goods to units situated in Special Economic Zone against Form I.			



- (viii) Sales of goods wholly exempted under sub-section (5) of Section 8.
- (ix) Any other deduction (please specify).

**Total of 4**

5. Taxable Turnover (3-4)

6. Classification of taxable turnover and tax payable

Taxable  
turnover

Rate of tax

Tax

- (i) sales of goods specified in part 1 of Schedule-II of the Vat Act
- (ii) against Form C-
- (a) sales of goods specified in part 2 to 4 of Schedule-II of the Vat Act.
- (b) sales of goods partly exempted under sub-section (5) of Section 8.
- (iii) without form C-
- (a) sales of goods specified in part 2 of Schedule-II of the Vat Act.
- (b) sales of goods specified in part 3 of Schedule-II of the Vat Act
- (c) sales of goods specified in part 4 of Schedule-II of the Vat Act.
- (iv) without form F/Form H/Form I—
- (a) sales of goods specified in part 2 of Schedule-II of the Vat Act.
- (b) sales of goods specified in part 3 of Schedule-II of the Vat Act
- (c) sales of goods specified in part 4 of Schedule-II of the Vat Act.

**Total of 6**

7. Interest/penalty imposed—

- (i) under section
- (ii) under section
- (iii) under section
- (iv) under section
- (v) under rule

**Total of 7**

8. Amount payable (6+7)

9. Deduct—

- (i) Input tax rebate under section 14 of the Vat Act (if any)
- (ii) Refund Adjustment Order (if any)
- (iii) Amount paid

**Total of 9**

## 10. Balance amount payable/refundable

Payment Details :—

Challan Number	Challan Date	Amount
		Total

Order of Assessment and /or penalty is attached.

Seal

Date .....

Signature  
Designation".By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh  
R. K. YADAV, Addl. Secretary.